मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 मई, 1987

एफ0क्रमांक सी/3-4/87/3/1 - भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात :-

"9. स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिए परीक्षण" :-

(1) कोई व्यक्ति, जो पहले से ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाय, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यत: दो वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु शासन यह घोषित कर सकेगा कि ऐसी सेवा या पद पर पूर्विक स्थानापन्नता की कालावधि को उस सीमा तक, जो कि किसी विशिष्ठ मामले में विनिर्दिष्ट की जाय, परीक्षण की कालावधि के प्रति गिना जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर, नियुक्तियाँ विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती भी की जाती है, तो स्थानापन्नता की कालावधि उस

क्रमश: 2

परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के लिए विहित है ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

परन्तु यदि शासकीय सेवक उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर कि ऐसे पदों पर नियुक्तियाँ विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी नियुक्तियाँ की जाती है और नियमों में परिवीक्षा की कालावधि के विस्तार का उपबंध है तो वह कालावधि, जिस तक के लिये स्थानापन्नता की कालावधि और विस्तारित की जा सकेगी, उस कालावधि के बराबर होगी जिस तक के लिये नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती किये गये व्यक्ति की परिवीक्षा कालावधि विस्तारित की जाने योग्य है ।

(3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाए, जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया है तो उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा ।

टिप्पणी - विहित विभागीय परीक्षाएं, यदि कोई हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात की जाय, उत्तीर्ण न करने पर शासकीय कर्मचारी को, उस सेवा या पद हेतु जिस पर कि वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने में असफल समझा जाएगा ।

(4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उस सेवा या पद के लिए जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाय तो यदि स्थाई पद उपलब्ध है तो उसे उस सेवा या पद पर जिसमें उसे नियुक्त किया गया है स्थाई कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र उसके पक्ष में जारी किया जायेगा कि स्थानापन्न

क्रमशः 3

शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थाई पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है उसे स्थायी कर दिया जायेगा ।

(5) ऐसा कोई शासकीय कर्मचारी जिसे उप-नियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, और न ही उसे उप-नियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेश-पर्यन्त सेवा में बना रहा समझा जाएगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा ।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के०एन०श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
*****

NOTIFICATION

Bhopal, Dated the 7 May, 1987.

F.No. C/3-4/87/3/1 : In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely:-

A M E N D M E N T

In the said rules, for rule 9 the following rule shall be substituted, namely:-

"9. TRIAL FOR SUITABILITY OF OFFICIATING GOVERNMENT SERVANTS.

(1) A person already in permanent Government service appointed to another service or post by direct recruitment, promotion or transfer shall ordinarily be appointed in an officiating capacity for a period of two years to as certain his suitability for the service or post.

Provided that the Government may declare that any previous officiation in such a service or post may be counted towards the period of trial to such extent as may be specified in the particular case.

Provided further that if the Government servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the recruitment rules governing appointments to such post then the period of officiation shall be equal to the period of probation prescribed for a person appointed by direct recruitment to the said post under the rules.

......2....

(2) The appointing authority may for sufficient reasons extend the period of officiation by a further period not exceeding one year.

Provided that if the Government Servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the Recruitment Rules governing appointments to such posts and the Rules provide for extension of the period of probation then the period by which the period of officiation may be further extended shall be equal to the period by which the period of probation is extendable for a person appointed by direct recruitment to the said post under the Rules.

(3) If during or, at the end of the period of officiation or extended period of officiation, the Government servant is found unsuitable for the service or post to which he has been appointed he shall be reverted to his former substantive service or post.

NOTE:- The failure to pass the prescribed departmental examinations, if any, within such period as may be allowed for the purpose may be construed as failure to show fitness for the service or post in which the Government servant is officiating.

(4) If at the end of the period of the trial the officiating Government servant is considered suitable for the service or post to which he has been appointed he shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed; otherwise a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the

......3....

effect that the officiating Government servant would have been confirmed but for the non-availability of the permanent post and that as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.

(5) An officiating Government servant, who has neither been confirmed, nor a certificate has been issued in his favour under sub-rule (4) nor reverted to his former substantive service or post under sub-rule (3) shall, not-with-standing anything contained in sub-rule (2), be deemed to have been continued in officiating capacity till further orders and during such period he shall at any time be liable to be reverted to his substantive service or post."

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(K.N. Shrivastava)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
General Administration Department.